


589



अपील कं.

बोर्ड ऑफ रीवेन्यू इन्वॉलियर  
न्यायालय श्रीमान ~~बकी~~ महोदय ~~कलेक्टर~~ म.प्र.

सूरपाल पिता कंवरा भील  
निवासी ग्राम पलास तेह व जिला  
रतलाम म.प्र.

—प्रार्थी

R 628-PBR/13

विरुद्ध

श्री. एन. के. वासुदेव  
द्वारा आज दि. 13/12/13 को  
प्रस्तुत

मानसिंह पिता कंवरा भील  
निवासी ग्राम पलास तेह व जिला  
रतलाम म.प्र.

—प्रतिप्रार्थी

13/12/13  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. इन्वॉलियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

मान्यवर महोदय,

में प्रार्थी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय रतलाम द्वारा निगरानी प्र.कं. 30/12-13 मे पारित आदेश दिनांक 9.1.13 से असंतुष्ट होकर जो कि श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रतलाम द्वारा अपील प्र.कं. 9/11 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5.7.12 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई थी जो निगरानी निरस्त होने से अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत है :-

13/12/13

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा पार्थी को दिनांक 14.11.2011 के आदेश से विधिवत जांच

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-628-पीबीआर/13

जिला - रतलाम

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 19-12-18         | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> |  |